(94)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3713–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–8–2015 पारित द्वारा कलेक्टर जिला रतलाम प्रकरण क्रमांक 15/निगरानी/2011–12.

नाहरूलाल पिता मांगु
निवासी ग्राम जावरा
जिला रतलाम .....आवेदक

विरूद्ध

1– नाथुराम पिता हेमराज
2– कैलाश बाई बेवा राधेश्याम
निवासीगण हुसैन टेकरी
शरीफ रोड जावरा जिला रतलाम .....अनावेदकगण

श्री अखलाक कुरैशी, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, जावरा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि कस्बा जावरा जिला रतलाम स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 399/3 रकबा 0.342 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 400/5 रकबा 0.126 हेक्टेयर उसके एवं धापुबाई के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है, जबकि खाता वर्तमान में आधिपत्यधारी नाथुलाल एवं मृतक राधेश्याम का बना हुआ है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर

अनावेदकगण के स्थान पर उनके नाम रिकार्ड दुरूस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 59/अ–6(अ) दर्ज कर पटवारी से जांच प्रतिवेदन चाहा गया । पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया । तहसीलदार की उक्त कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी कलेक्टर जिला रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–8–2015 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में जब एक बार पटवारी से जांच कराई जाकर प्रतिवेदन मंगा लिया गया था, तब दोबारा जांच प्रतिवेदन मंगाये जाने का कोई औचित्य नहीं था, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पुनः राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन मंगाने में अनौचित्यपूर्ण कार्यवाही की गई है, इस स्थिति पर कलेक्टर द्वारा ध्यान नहीं दिया जाकर तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में पटवारी द्वारा विधिवत अनावेदकगण सहित पड़ोसी कृषकों के समक्ष स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिस पर अनावेदकगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा दोबारा जांच प्रतिवेदन के आदेश देने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व पटवारी द्वारा प्रस्तुत स्थल जांच प्रतिवेदन से तहसीलदार संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उभय पक्ष एवं पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में स्थल जांच कर राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन चाहा गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि दोबारा स्थल जांच में आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यायहित में यह आवश्यक है कि उचित जांच उपरांत तहसीलदार द्वारा प्रकरण में निर्णय लेवें, अतः कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन चाहा गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता

अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा ही कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो कि निरस्त हुई है । यदि कलेक्टर को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था, तब आवेदक को निगरानी वापिस लेकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण अब इस स्तर पर उक्त बिन्दु विचारणीय नहीं रह जाता है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर